



मान. श्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

Department of Agriculture
Government of Chhattisgarh

मान. श्री रामविचार नेताम
कृषि मंत्री छत्तीसगढ़

उद्यानिकी विभाग में संचालित योजनांतर्गत किसानों को दी जाने वाली सुविधा किसान कॉल सेंटर : 1800-180-1551



बागवानी मिशन
Horticulture Mission



संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय खण्ड, चौथी मंजिल, अटल नगर नवा रायपुर

फोन : 0771-2433001, फैक्स : 0771-2433002, ईमेल : dir.horti-cg@nic.in

Website : <http://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiH/>, [@cghorticulture](https://www.facebook.com/cghorticulture) [@HorticultureCG](https://www.instagram.com/HorticultureCG)



उद्यानिकी



राज्य पोषित समेकित उद्यानिकी विकास योजना

योजना का संचालन – समस्त जिला

योजना के घटक एवं अनुदान :-

न्यूनतम 1 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक

प्रति हेक्टेयर अनुदान का विवरण:- (नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर देय अनुदान को छोड़कर)

क.	घटक का नाम	इकाई	इकाई लागत	अनुदान राशि	अनुदान प्रतिशत
1	फेन्सिंग	हेक्टेयर	1.08970	0.54485	50%
2	फल पौध रोपण	हेक्टेयर	0.4375	0.10938	25%
3	फलोद्यानों में अंतरवर्तीय फसल के रूप में सब्जी फसलों का रोपण	हेक्टेयर	0.3000	0.3000	100%
	योग		1.8272	0.95423	-

नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर देय अनुदान :-

क.	कृषक वर्ग	नलकूप खनन पर अनुदान	सफल नलकूपों पर पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान
1	सामान्य वर्ग	खनन की वास्तविक (केसिंग पाइप सहित) लागत अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रु. 15,000/- जो भी कम हो
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	खनन की वास्तविक (केसिंग पाइप सहित) लागत अथवा रु. 15,000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रु. 20,000/- जो भी कम हो
3	अ.जा./अ.ज.जा.	खनन की वास्तविक (केसिंग पाइप सहित) लागत अथवा रु. 18,000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रु. 25,000/- जो भी कम हो

राज्य पोषित मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

(न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक)

योजना का संचालन – समस्त जिला

(प्रति हेक्टेयर)

(राशि लाख में)

क्र.	आदान सामग्री का नाम	अनुदान राशि
2	हल्दी बीज (2500 कि.ग्रा.)	आदान की कीमत का 40 प्रतिशत अथवा रु. 46,000/- जो भी कम हो
	जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व	500.00
	पौध संरक्षण रसायन	500.00
	योग	47600.00

योजना का संचालन – समस्त जिला

(प्रति हेक्टेयर)

(राशि लाख में)

क्र.	आदान सामग्री का नाम	अनुदान राशि
2	अदरक बीज (2500 कि.ग्रा.)	आदान की कीमत का 40 प्रतिशत अथवा रु. 48,800/- जो भी कम हो
	जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व	500.00
	पौध संरक्षण रसायन	500.00
	योग	49800.00

राज्य पोषित आलू फसल प्रदर्शन योजना

योजना का संचालन – समस्त जिला

प्राथमिकता का क्षेत्र – विकासखंड शंकरगढ़, कुसमी, मैनपॉट, बगीचा

पात्रता – सभी वर्ग के कृषक (शत-प्रतिशत अनुदान)

योजना के घटक एवं अनुदान प्रावधान –

(रकबा 0.40 हे.)

(राशि लाख में)

क्र.	आदान सामग्री का नाम	अनुदान राशि
1	आलू बीज (800 कि.ग्रा.)	40000.00
2	जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व	500.00
3	पौध संरक्षण रसायन	500.00
	योग	41000.00

मधुमक्खी पालन के द्वारा परागण योजना

योजना का संचालन – समस्त जिला

पात्रता – सभी वर्ग के कृषक।

अनुदान प्रावधान – 50 प्रतिशत

क.	सामग्री	यूनिट	लागत प्रति नग (राशि रु.में)	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (राशि रु.में)
1	मधुमक्खी के छत्ते (कालोनी)	1 नग	2000.00	लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1000.00 जो भी कम हो
2	मधुमक्खी-पेटिका	1 नग	2000.00	लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1000.00 जो भी कम हो

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
रोपण अधोसंरचना एवं विकास				
1.	रोपण सामग्री का उत्पादन			
	(शासकीय क्षेत्र में कुल लागत का 100% एवं निजी क्षेत्र में 30% से 55% अनुदान)–			
1.1	बड़ी नर्सरी – (1 से 2 हे.)	रु. 30 लाख प्रति हे.	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (40% अनुदान) परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	2 हे. क्षेत्र तक प्रति नर्सरी एवं प्रति हे. 50,000 पौधों का उत्पादन प्रतिवर्ष रु. 60.00 लाख रु. 24.00 लाख
1.2	छोटी नर्सरी – (0.4 से 1 हे.)	रु. 20 लाख प्रति हे.	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (50% अनुदान) परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	पौध उत्पादन– 25,000 प्रति हे. प्रतिवर्ष रु. 20.00 लाख रु. 10.00 लाख
1.3	पुरानी नर्सरी का जीर्णोद्धार– (2 हे. तक)	रु. 4 लाख प्रति हे.	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (50% अनुदान)	रु. 08.00 लाख रु. 04.00 लाख
1.4	नवीन टिशू कल्चर यूनिट की स्थापना	रु. 250.00 लाख प्रति इकाई	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (40% अनुदान) परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	प्रत्येक टिशू कल्चर यूनिट में अधिसूचित फसलों के न्यूनतम प्रति वर्ष 10 लाख पौधों का उत्पादन एवं अधिकतम 25 लाख पौध प्रति इकाई उत्पादन क्षमता के साथ रु. 250.00 लाख रु. 100.00 लाख
1.5	हार्ड-टेक प्लग टाइप नर्सरी यूनिट नियंत्रित वातावरण में स्वचालित ट्रे सीडर इकाई के साथ (0.2 से 1 हे. तक)	प्रति वर्ग मी. 1200.00 रु. (रु. 120.00 लाख प्रति यूनिट)	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (50% अनुदान)	प्रत्येक टिशू कल्चर यूनिट में प्रतिवर्ष प्रति 100 वर्ग मी. में अधिसूचित फसलों के न्यूनतम 80,000 पौध प्लग (प्रत्येक 4 चक्र में 20,000 प्लग) रु. 120.00 लाख रु. 60.00 लाख
1.6	सब्जी एवं मसाला के बीजों का उत्पादन (Open pollinated) (1 से 2 हे.)	रु. 50,000.00 प्रति हे.	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (35% अनुदान)	प्रति हितग्राही 2 हे. तक सीमित रु. 50,000.00 प्रति हे. रु. 17,500.00 प्रति हे.
1.7	सब्जी एवं मसाला के बीजों का उत्पादन (Hybrid)(1 से 2 हे.)	रु. 1.80 लाख प्रति हे.	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (35% अनुदान)	प्रति हितग्राही 2 हे. तक सीमित रु. 1.80 लाख प्रति हे. रु. 63000.00 प्रति हे.
1.8	बीज अधोसंरचना (घयनित उद्यानिकी फसलों के हेण्डलिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग एवं भंडारण)	रु. 300.00 लाख परियोजना प्रस्ताव के आधार पर	शासकीय क्षेत्र (100%) निजी क्षेत्र (50% अनुदान) परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 300.00 लाख रु. 150.00 लाख

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
2	नये उद्यानों की स्थापना –			
	1. फल –			
	A उच्च लागत वाली फसलें (अधिकतम 2 हैं. प्रति हितग्राही). अंगूर, किवी, पैसन फ्रूट, स्ट्राबेरी, खजूर, ड्रेगन फ्रूट आदि			
	स्ट्राबेरी	रु. 2.00 लाख प्रति हे.	40 प्रतिशत अनुदान, एक किस्त, अधिकतम 2 हे. तक	रु. 0.80 लाख
	किवी, पैसन फ्रूट, ड्रेगन फ्रूट सपोर्ट सिस्टम के साथ	ड्रेगन फ्रूट- रु. 6.75 लाख प्रति हे.	प्रति हे. 40 प्रतिशत अनुदान दो किस्तों में 60:40 द्वितीय वर्ष में पौधों के 80 प्रतिशत जीवितता पर, अधिकतम 2 हे. तक	रु. 2.70 लाख
		पैसन फ्रूट- रु. 2.75 लाख प्रति हे.		रु. 1.10 लाख
		किवी- रु. 2.50 लाख/हे.		रु. 1.00 लाख
	अंगूर	रु. 3.00 लाख प्रति हे. सपोर्ट सिस्टम सहित		रु. 1.20 लाख
	खजूर (टिशु कल्चर)	रु. 4.00 लाख प्रति हे.	प्रति हे. 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 हे. तक दो किस्तों में 60:40 द्वितीय वर्ष में पौधों के 80 प्रतिशत जीवितता पर ड्रिप के साथ पीडीएमसी गाइडलाइन अनुसार	रु. 1.60 लाख
	केला एवं अनानास (टिशु कल्चर)			
	बिना ड्रिप सिंचाई (ड्रिप सिंचाई को अन्य योजना से अनुसरण किया जा सकता है)	रु. 1.75 लाख प्रति हे.	कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हे. तक, दो किस्तों में 60:40 द्वितीय वर्ष में पौधों के 80 प्रतिशत जीवितता पर।	रु. 0.70 लाख
	B उच्च लागत के अतिरिक्त अन्य फसलें (अधिकतम 2 हैं. प्रति हितग्राही)			
	1. एवोकैडो, रामबुटन, नाशपाती, आड़ू, बेर, चेरी, ब्लूबेरी, प्लम आदि			
	बिना ड्रिप सिंचाई (ड्रिप सिंचाई को अन्य योजना से अनुसरण किया जा सकता है)	रु. 1.25 लाख प्रति हे.	कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, दो किस्तों में 60:40। द्वितीय वर्ष में पौधों के 80 प्रतिशत जीवितता पर।	रु. 0.50 लाख
	2. पपीता, सपोटा, बेर, कटहल, खिरनी, सीताफल, आंवला			
	बिना ड्रिप सिंचाई (ड्रिप सिंचाई को अन्य योजना से अनुसरण किया जा सकता है)	रु. 0.75 लाख प्रति हे.	कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हे. तक, दो किस्तों में 60:40। द्वितीय वर्ष में पौधों के 80 प्रतिशत जीवितता पर।	रु. 0.30 लाख

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
C. नए बागान— सेब, आम, अमरुद, लीची, अनार, नीबू आदि हेतु (अधिकतम 2 हैं. प्रति हितग्राही)				
1. बिना ड्रिप सिंचाई (ड्रिप सिंचाई को अन्य योजना से अनुसरण किया जा सकता है)				
(अ) सामान्य स्पेसिंग	रु. 1.25 लाख प्रति हे.	कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हे. तक, दो किस्तों में 60:40। द्वितीय वर्ष में पौधों के 80 प्रतिशत जीवितता पर।	रु. 0.50 लाख	
(ब) उच्च घनत्व (सेब के अलावा)	रु. 2.00 लाख प्रति हे.		रु. 0.80 लाख	
2. सब्जी— (अधिकतम 2 हेक्टे. प्रति हितग्राही)				
1. संकर सब्जी	रु. 0.60 लाख प्रति हे.	कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हे. तक	रु. 0.24 लाख प्रति हे.	
2. प्याज एवं लहसून (ओपन पॉलिनेटेड)	रु. 0.50 लाख प्रति हे.	कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम अधिकतम 2 हे. तक	रु. 0.20 लाख प्रति हे.	
3. मशरूम—				
3.1 उत्पादन इकाई	रु. 30.00 लाख प्रति यूनिट	शासकीय क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत	रु. 30.00 लाख	
		निजी क्षेत्र हेतु 40 प्रतिशत आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए क्रेडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप में।	रु. 12.00 लाख	
3.2 स्थान बनाने की यूनिट	रु. 20.00 लाख प्रति यूनिट	शासकीय क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत	रु. 20.00 लाख	
		निजी क्षेत्र हेतु 40 प्रतिशत आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए क्रेडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप में।	रु. 08.00 लाख	
3.3 खाद बनाने की यूनिट	रु. 30.00 लाख प्रति यूनिट	शासकीय क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत	रु. 30.00 लाख	
		निजी क्षेत्र हेतु 40 प्रतिशत आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए क्रेडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप में।	रु. 12.00 लाख	
3.4 कम लागत/छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन इकाई	रु. 2.00 लाख प्रति यूनिट (200 वर्गफीट आकार की संरचना के लिए)	बुनियादी ढांचे और इनपुट पर व्यय को पूरा करने के लिए प्रति यूनिट 50 प्रतिशत की दर से सहायता, प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 यूनिट तक	रु. 5.00 लाख	
4. पुष्प (अधिकतम 2 हेक्टे. प्रति हितग्राही)				
1. कट फ्लावर	रु. 1.25 लाख प्रति हे.	प्रति हे. कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, एक किस्त में।	रु. 0.50 लाख प्रति हे.	
2. बल्ब्स एण्ड राइजोमेटिक फ्लावर	रु. 2.50 लाख प्रति हे.	प्रति हे. कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, एक किस्त में।	रु. 1.00 लाख प्रति हे.	
3. लूज फ्लावर	रु. 0.50 लाख प्रति हे.	प्रति हे. कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, एक किस्त में।	रु. 0.20 लाख प्रति हे.	
5. मसाला (प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे. क्षेत्र तक) —				
बीज मसाले जैसे — अजवायन, धनिया, मेथी	रु. 0.50 लाख प्रति हे.	प्रति हे. कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, एक किस्त में।	रु. 0.20 लाख प्रति हे.	
राइजोमेटिक एवं कटीय प्रजातियां, जैसे— अदरक,	रु. 1.00 लाख प्रति हे.		रु. 0.40 लाख प्रति हे.	
बहुवर्षीय मसाले (कालीमिर्च, सिनामोन, इत्यादि)	रु. 1.00 लाख प्रति हे.		रु. 0.40 लाख प्रति हे.	
6 सुगंधित एवं औषधीय पौधे (प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे. क्षेत्र तक) —				
अधिक मूल्य वाली सुगंधित पौधे	रु. 1.25 लाख प्रति हे.	प्रति हे. कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, एक किस्त में।	रु. 0.50 लाख प्रति हे.	
अन्य सुगंधित पौधे	रु. 0.50 लाख प्रति हे.		रु. 0.20 लाख प्रति हे.	
औषधीय पौधे	रु. 1.50 लाख प्रति हे.		रु. 0.60 लाख प्रति हे.	

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
7. प्लांटेशन क्रॉप (प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे. क्षेत्र तक)				
1. काजू एवं कोकोआ				
अ) बिना ड्रिप सिंचाई – सामान्य स्पेसिंग	रु. 0.75 लाख प्रति हे.	कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हे. तक दो किस्तों में 60:40। द्वितीय वर्ष में पौधों के 80 प्रतिशत जीवितता पर।	रु. 0.30 लाख प्रति हे.	
(ब) अंतरवर्तीय फसलों के साथ	रु. 0.50 लाख प्रति हे.		रु. 0.20 लाख प्रति हे.	
(स) उच्च घनत्व (न्यूनतम 400 पौधे प्रति हे.) (केवल काजू)	रु. 1.50 लाख प्रति हे.		रु. 0.60 लाख प्रति हे.	
3 पुराने जीर्ण बगीचों का पुनर्जीवीकरण/प्रतिस्थापना –				
अ) मृत/मरते/पुराने पौधों को हटाना	रु. 0.10 लाख प्रति हे.	सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 40 प्रतिशत की दर से सहायता	रु. 4,000.00 प्रति हे.	
ब) नये पौध के साथ टॉप वर्किंग एवं गैप फिलिंग	रु. 0.10 लाख प्रति हे.		रु. 4,000.00 प्रति हे.	
स) पोषक तत्त्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन और सिंचाई के लिए इनपुट की लागत	रु. 0.40 लाख प्रति हे.		रु. 16,000.00 प्रति हे.	
4 जल संसाधन स्रोतों का निर्माण –				
(क) सामुदायिक जल संवयन संरचनाएँ-प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग के उपयोग के साथ खेत पर सामुदायिक टैंक, तालाब/जलाशय का निर्माण	सामान्य क्षेत्रों में रु. 24.00 लाख प्रति इकाई (राशि रु. 80 प्रति क्यूबिक मी.) अधिसूचित क्षेत्रों में रु. 30.00 लाख प्रति इकाई	सामान्य क्षेत्रों में राशि रु. 80.00 प्रति क्यूबिक मीटर तथा	सामान्य क्षेत्र-18 लाख	
		अधिसूचित क्षेत्रों में राशि रु. 100.00 प्रति क्यूबिक मीटर	अधिसूचित क्षेत्र- 22.50 लाख	
		75 प्रतिशत अनुदान (10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिये)		
(ख) व्यक्तियों हेतु जल संवयन प्रणाली –प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग के उपयोग के साथ खेत पर तालाब/टैंक आदि का निर्माण	PDMC नार्म्स के अनुसार	PDMC नार्म्स के अनुसार हेतु	–	
5 संरक्षित खेती-				
5.1 पॉली हाउस/हाइब्रिड/रिट्रेक्टेबल स्ट्रक्चर –				
A फैन एंड पैड सिस्टम				
500 वर्ग मी. तक	रु. 1800.00 प्रति वर्गमीटर	प्रति हितग्राही 4000 वर्ग.मी. हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान	
500 से 1008 वर्ग मी. तक	रु. 1600.00 प्रति वर्गमीटर			
1008 से 2080 वर्ग मी. तक	रु. 1500.00 प्रति वर्गमीटर			
2080 से 4000 वर्ग मी. तक	रु. 1450.00 प्रति वर्गमीटर			
B. नैचुरल वेंटीलेटेड सिस्टम –				
अ. ट्यूब्यूलर/आयताकार स्ट्रक्चर				
500 वर्ग मी. तक	रु. 1200.00 प्रति वर्गमीटर	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मी. तक सीमित	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान	
500 से 1008 वर्ग मी. तक	रु. 1050.00 प्रति वर्गमीटर			
1008 से 2080 वर्ग मी. तक	रु.रु. 1000.00 प्रति			
2080 से 4000 वर्ग मी. तक	रु.रु. 950.00 प्रति वर्गमीटर			

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
5.2 शेडनेट हाउस/एग्रो टेक्सटाइल नेट हाउस-				
	ट्यूब्यूलर/ आयताकार स्ट्रक्चर	रु. 710.00 प्रति वर्गमीटर	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.3	प्लास्टिक/गैर बुना कपड़ा टनल	रु. 80.00 प्रति वर्गमीटर	अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक, प्रति हितग्राही कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.4	वॉक इन टनल	रु. 720.00 प्रति वर्गमीटर	अधिकतम 5 यूनिट प्रति हितग्राही कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (प्रति यूनिट 800 वर्गमी. से अधिक नहीं होगा)	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.5	पक्षी रोधी/ओला रोधी जाली	रु. 50.00 प्रति वर्ग मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति हितग्राही 10000 वर्ग मीटर तक सीमित	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.6	पॉली हाउस में उगाये गये उच्च मूल्य फल एवं सब्जियों की रोपण सामग्री की लागत	रु. 150.00 प्रति वर्ग मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.7	पॉली हाउस में उगाये गये आर्किड एवं एन्थूरियम की रोपण सामग्री की लागत	रु. 700.00 प्रति वर्ग मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.8	पॉली हाउस में उगाये गये कार्नेशन एवं जरबेरा की रोपण सामग्री की लागत	रु. 600.00 प्रति वर्ग मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.9	पॉली हाउस में उगाये गये गुलाब, क्रायसेंथिमम, एवं लिलियम की बगान सामग्री की लागत	रु. 450.00 प्रति वर्ग मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.10	प्लास्टिक मल्टिप्लिंग	मैदानी क्षेत्रों में रु. 0.40 लाख प्रति हेक्टेयर	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति हितग्राही 2 हेक्टेयर	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.11 एड ऑन कम्पोनेंट				
1.	हाइड्रोपोनिक्स एव एरोपोनिक्स	रु. 350.00 प्रति वर्ग मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
2.	केवल पॉली हाउस में सरकुलेशन फैन	रु. 5000.00 प्रति फैन	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 6 फैन 4000 वर्ग मीटर में प्रति हितग्राही	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
3.	सेन्सर बेस्ड आटोमेशन सिस्टम फॉर फर्टिगेशन	रु. 4.00 लाख प्रति इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही 4000 वर्ग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
4.	सब्जी फसलों के लिये सपोर्ट सिस्टम	रु. 0.20 लाख प्रति हेक्टेयर	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे. तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
5.	परमानेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर ऐंटी हेल/ऐंटी बर्डनेट	रु. 20.00 प्रति वर्ग मी.	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे. तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
6.	फेंसिंग	रु. 300.00 प्रति रनिंग मीटर	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही अधिकतम 1000 रनिंग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
7.	फ्रूट/वंच कवर (पेपर/बूना हुआ/बिना बूना हुआ/पेपर बैग)	रु. 0.50 लाख प्रति हे.	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे. तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
8.	वीड मीट	रु. 50.00 प्रति वर्ग मीटर	कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रति हितग्राही अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान
6 समेकित पोषण प्रबंधन (आई.एन.एम.)/समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) का संवर्धन-				
6.1	आई.एन.एम./आई.पी.एम. का प्रोत्साहन	रु. 5000.00 प्रति हे.	कुल लागत पर 30 प्रतिशत, प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे. क्षेत्र हेतु	रु. 3000.00
6.2	पादप स्वास्थ्य क्लीनिक	रु. 25.00 लाख प्रति इकाई	शासकीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान	-

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
7 जैविक खेती (ऑर्गेनिक फॉर्मिंग)				
7.1 वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन				
7.1 जैविक खेती का अंगीकरण	पीकेंटीवाय के प्राक्धान अनुसार	जैविक खेती हेतु अधिकतम 2 हे. हेतु पीकेंटीवाय के प्राक्धान अनुसार अनुदान		—
7.2 जैविक प्रमाणीकरण	पीकेंटीवाय के प्राक्धान अनुसार	जैविक प्रमाणीकरण पीकेंटीवाय के प्राक्धान अनुसार अनुदान		—
7.1.1 स्थायी ढांचा (पक्का टांका)	रु. 1.00 लाख प्रति इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान 30'x8'x2.5' आयाम की इकाई के आकार के अनुरूप।		रु. 50,000.00 प्रति इकाई
7.1.2 पोर्टेबल वर्मीबेड (एच.डी.पी.ई. वर्मीबेड)	रु. 0.16 लाख प्रति इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान 12'x4'x2' (96 स्क्वा.फुट) आकार की इकाई के अनुरूप		रु. 8000.00 प्रति इकाई
8 मधुमक्खी पालन द्वारा परागण सहायता —				
8.1 न्यूक्लियस स्टॉक का उत्पादन	रु. 20.00 लाख	शासकीय क्षेत्र हेतु 100 प्रतिशत अनुदान		शत प्रतिशत अनुदान
8.2 मधुमक्खी कॉलोनी उत्पादन (ब्रीडर द्वारा)	रु. 10.00 लाख	प्रति हितग्राही 40 प्रतिशत अनुदान, 2000 कॉलोनी प्रतिवर्ष उत्पादन हेतु।		रु. 4.00 लाख
8.3 मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ 8 फ्रेम के बक्से की एक इकाई	रु. 4000.00 प्रति छत्ता	प्रति हितग्राही 40 प्रतिशत अनुदान, जो 50 कॉलोनी तक सीमित		—
8.4 मधुमक्खी छत्ते	रु. 2000.00 प्रति छत्ता	प्रति हितग्राही 40 प्रतिशत अनुदान, जो 50 छत्ता तक सीमित		रु. 800.00
8.5 शहद निकालने वाले उपकरण	रु. 0.20 लाख प्रति सेट	प्रति हितग्राही एक सेट के लिये लागत का 40 प्रतिशत		रु. 8,000.00
9 उद्यानिकी मशीनीकरण —				
1.1 ट्रेक्टर (20 पीटीओ एचपी तक) 2 WD	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
1.2 ट्रेक्टर (20 पीटीओ एचपी तक) 4WD	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
2.1 पावर टिलर (8 बीएचपी तक)	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
2.2 पावर टिलर (8 बीएचपी से अधिक)	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
3. पौध संरक्षण उपकरण				
3.1 मैन्युअल नेपसेक स्प्रेयर/पैर संचालित स्प्रेयर	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
3.2 पावर नेपसेक स्प्रेयर/पावर चलित तायवान स्प्रेयर (क्षमता 8–12 लीटर)	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
3.3 पावर नेपसेक स्प्रेयर/पावर चलित तायवान स्प्रेयर (क्षमता 12–16 लीटर)				—
3.4 पावर नेपसेक स्प्रेयर/पावर चलित तायवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)				—
3.5 ट्रेक्टर संचालित स्प्रेयर (बूम टाइप)	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
3.6 ट्रेक्टर संचालित स्प्रेयर (एयर कैरियर/अस्टेड)	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार	मैकेनाइजेशन के नाम्स अनुसार		—
3.6 ट्रेक्टर संचालित इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्प्रेयर				—
3.7 इको फ्रेंडली लाइट ट्रेप				—
10 प्रदर्शन/अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से तकनीक का प्रचार-प्रसार	25.00 लाख प्रति इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र के लिये शत-प्रतिशत परियोजना आधारित प्रस्ताव		रु. 25.00 लाख
		निजी क्षेत्र के लिये किसानों के खेतों के लिये 75 प्रतिशत परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर		रु. 18.75 लाख

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
11 मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) -				
12.1	माली प्रशिक्षण	रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट	100 प्रतिशत अनुदान	शत प्रतिशत अनुदान
12.2	सुपरवाइजर, मालियों एवं कृषि/उद्यानिकी उद्यमियों का प्रशिक्षण	भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के नार्म्स अनुसार शत-प्रतिशत अनुदान	भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के नार्म्स अनुसार शत-प्रतिशत अनुदान	शत प्रतिशत अनुदान
12.3 किसानों का प्रशिक्षण/प्रभावन दौरा				
(अ) राज्य के भीतर	प्रति किसान रु. 1,000 प्रतिदिन परिवहन सहित	शासकीय क्षेत्र हेतु 100 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 5 दिवस की अवधि के लिये)	शत प्रतिशत अनुदान	
(ब) राज्य के बाहर	प्रोजेक्ट बेस	लागत का शतप्रतिशत, 7 दिवसीय		
(स) भारत के बाहर	रु. 2.00 लाख प्रति प्रतिभागी	प्रोजेक्ट बेस, लागत का शतप्रतिशत		
12.5 अधिकारियों/तकनीकी अमलों का प्रशिक्षण/अध्ययन दौरा				
(अ) राज्य के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति प्रतिभागी रु. 300.00 प्रतिदिन	लागत का शतप्रतिशत	शत प्रतिशत अनुदान	
(ब) राज्य के बाहर (न्यूनतम 5 प्रतिभागियों का समूह)	परिवहन के अतिरिक्त प्रति प्रतिभागी रु. 1,000 प्रतिदिन	लागत का शतप्रतिशत		
(स) देश के बाहर	रु. 3.50 लाख प्रति प्रतिभागी	लागत का शतप्रतिशत		
12 एकीकृत कटाई पशु प्रबंधन -				
1. फार्म गेट पैक हाउस (चलने योग्य हैंडलिंग ट्रॉली, सॉर्टिंग टेबल और फार्म गेट स्टैंडलान कोल्ड स्टोरेज सहित)	(9 मी. x 6 मी. आकार वाली प्रति यूनिट) हेतु रु. 25.00 लाख/यूनिट	लागत का 50 प्रतिशत	रु. 12.50 लाख	
2. इंटीग्रेटेड पैक हाउस (18 मी. x 22 मी. आकार, कन्वेयर बेल्ट, छटाई, ग्रेडिंग, वाशिंग, ड्राइंग एवं तैलयंत्र सहित) एचपीटी, कॅरेट, डाक लेवलर सिस्टम, प्री-कूलिंग (यदि जरूरत हो तो)	रु. 160.00 लाख	मैदानी क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 56.00 लाख	
		अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रति इकाई	रु. 80.00 लाख	
3. कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर (22 मी. x 26 मी. आकार, कन्वेयर बेल्ट, छटाई, ग्रेडिंग, वाशिंग, ड्राइंग एवं तैलयंत्र सहित आटोमेटेड कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम) एचपीटी, बीओपीटी, कॅरेट, डाक लेवलर सिस्टम, (यदि जरूरत हो तो) कोल्ड रूम ट्राजिट,	रु. 320.00 लाख	मैदानी क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 112.00 लाख	
		अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 160 लाख	
4. प्री-कूलिंग यूनिट	रु. 5.00 लाख प्रति मेट्रिक टन की लागत	मैदान क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 1.75 लाख	
		अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 2.50 लाख	
4. मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट	रु. 30.00 लाख	मैदानी क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 10.50 लाख	
		अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 15.00 लाख	

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

[illegible]

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

क्र.	घटक	संभावित कुल लागत	विवरण	अधिकतम अनुदान
8	रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल	रु. 48.30 लाख प्रति यूनिट	मैदानी क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 16.905 लाख प्रति यूनिट
			अधिसूचित क्षेत्रों के लिये में 50 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 24.15 लाख प्रति यूनिट
9	प्राथमिक / न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई	रु. 35.00 लाख प्रति यूनिट	मैदानी क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 12.25 लाख प्रति यूनिट
			अधिसूचित क्षेत्रों के लिये में 50 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 17.50 लाख प्रति यूनिट
10	सोलर क्राप ड्रायर (क्षमता 100 कि.ग्रा.)	रु. 3.50 लाख प्रति यूनिट	मैदानी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 1.40 लाख प्रति यूनिट
			अधिसूचित क्षेत्रों के लिये में 55 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 1.925 लाख प्रति यूनिट
13 विपणन आधारभूत ढांचे की स्थापना –				
	(1) ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी /प्रत्यक्ष बाजार	रु. 25.00 लाख प्रति यूनिट	मैदानी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 10.00 लाख प्रति यूनिट
			अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रति इकाई परियोजना आधारित प्रस्ताव अंतर्गत बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर	रु. 12.50 लाख प्रति यूनिट
	(2) खुदरा बाजार/आउटलेट्स (वातानुकूलित)	रु. 20.00 लाख प्रति यूनिट	मैदानी क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई	रु. 07.00 लाख प्रति यूनिट
			अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रति इकाई	रु. 10.00 लाख प्रति यूनिट
	(3) स्थिर/मोबाईल वेंडिंग कार्ट/शीत चैम्बर के साथ प्लेटफार्म	रु. 0.30 लाख प्रति यूनिट	इकाई लागत का 50 प्रतिशत	रु. 0.15 लाख प्रति यूनिट
14	मॉडिफाईड रिटेल रिफरवेन विथ रिटेल काउंटर	रु. 20.00 लाख अधिकतम 3 मैट्रिक टन की क्षमता	मैदानी क्षेत्रों में 35 प्रतिशत प्रति इकाई	रु. 7.00 लाख प्रति इकाई
			अधिसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्रति इकाई	रु. 10.00 लाख प्रति इकाई

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य के समस्त जिलों में संचालित है। योजनांतर्गत प्रदर्शन-ग्राफटेड बैगन/टमाटर सीडलिंग पर अनुदान दिया जाता है। प्रदाय अनुदान निम्नानुसार है:-

क्र.	घटक	इकाई लागत	विवरण	अनुदान प्रावधान
1	प्रदर्शन-ग्राफटेड बैगन/टमाटर सीडलिंग	रु. 40,000 / प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन का क्षेत्र 0.4 हे.	राशि रु. 30,000 / प्रदर्शन

नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल-ऑयल पॉम

राज्य के समस्त जिलों के कृषक ऑयल पॉम क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजनांतर्गत ऑयल पॉम रोपण हेतु इच्छुक कृषकों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी:-

क्र.	घटक	इकाई	अनुदान राशि
1	रोपण सामग्री इन्डीजिनश	हेक्टेयर	20000
	रोपण सामग्री एकजोटिक	हेक्टेयर	29000
2	रखरखाव हेतु अनुदान (प्रथम चार वर्ष तक)	हेक्टेयर	5250
3	अंतरवर्तीय फसल हेतु अनुदान (प्रथम चार वर्ष तक)	हेक्टेयर	5250
4	बोरवेल	संख्या	50000
5	ड्रिप संयंत्र स्थापना (लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु)	हेक्टेयर	17269
	ड्रिप संयंत्र स्थापना (अन्य कृषकों हेतु)	हेक्टेयर	14130
6	पम्प सेट (सामान्य वर्ग के कृषक)	संख्या	22500
	पम्प सेट (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./महिला/लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषक)	संख्या	27000
	जल संसाधन स्रोतों की स्थापना	संख्या	150000
7	वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना	संख्या	15000
8	हार्वेस्टिंग टूल्स		
	कटर	संख्या	2500
	वायर मेश	संख्या	20000
	मोटराइज चिसल	संख्या	15000
	पोटेबल लेदर/पोल्स	संख्या	5000
	चाफ कटर	संख्या	5000
	ट्रेक्टर	संख्या	200000
9	कृषक प्रशिक्षण (30 कृषकों के बैच के लिए)	संख्या	30000

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

इस योजना के तहत राज्य का कोई भी किसान अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकता है। यह योजना ऋणी एवं अऋणी दोनों कृषकों हेतु ऐच्छिक है।

मौसम	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम राशि
खरीफ	टमाटर, बैंगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक	बीमित राशि का 5 प्रतिशत
रबी	टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू	

कृषक प्रीमियम, बीमित राशि का 5 प्रतिशत जो कि किसान द्वारा देय होगा। वास्तविक प्रीमियम से किसान द्वारा देय प्रीमियम को घटाने पर प्रीमियम के अंतर की राशि सामान्य प्रीमियम सब्सिडी होगी जो राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा देय होगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

योजना का उद्देश्य उपलब्ध जल स्रोत से अधिक से अधिक सिंचित रकबा को बढ़ाना है। योजनांतर्गत प्रत्येक हितग्राहियों को एक बार में न्यूनतम 0.20 हे. या इससे अधिकतम 5.00 हे. तक लाभान्वित किया जा सकता है। हितग्राही को भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 55 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक को एवं 45 प्रतिशत अन्य कृषक को अनुदान देय है। लाभान्वित कृषक आगामी 7 वर्ष तक दोबारा लाभ नहीं ले सकते हैं।

क्र.	घटक	इकाई लागत (प्रति हे.)	विवरण	अनुदान प्रावधान
1	ड्रिप	1.46626 लाख	1.2 m X 0.6 m या इससे कम दूरी के आधार पर।	लघु/सीमांत कृषक 55%
2	स्प्रिंकलर	0.24194 लाख	75 पाईप डायमीटर (mm)	बड़े कृषक 45%

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (RNBM)

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (RNBM) वर्ष 2018-19 से क्रियान्वयन राज्य के समस्त 33 जिलों में किया जा रहा है।

- छ.ग. राज्य, भारत के बांस क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है, विशेष रूप से मध्य भारत में। राज्य अपने महत्वपूर्ण बांस आच्छादित क्षेत्र (लगभग 11 लाख हेक्टेयर) एवं बांस की खेती, प्रसंस्करण तथा शिल्प विकास में इसके प्रयासों के लिए जाना जाता है।
- छ.ग. राज्य, देश का पांचवां सबसे बड़ा बांस आच्छादित (11,060 Sq.Km.) क्षेत्र है। प्रथम-मध्य प्रदेश (18,167 Sq.Km.), द्वितीय-महाराष्ट्र (15,927 Sq.Km.) एवं तृतीय-अरुणाचल प्रदेश (15,125 Sq.Km.), चौथा- ओडीशा (12,109 Sq.Km.)
- योजना का उद्देश्य राज्य के कृषकों की भूमि, सामुदायिक भूमि एवं गैर-वन भूमि पर बांस के क्षेत्र का विस्तार करना।
- राष्ट्रीय बांस मिशन अंतर्गत बांस रोपण हेतु राज्य के वातावरण के अनुकूल निम्न प्रजातियों को प्राथमिकता दी जा रही है:-

1. बम्बूसा बाल्कोआ (*Bambusa balcoa*)
2. बम्बूसा न्यूटन्स (*Bambusa nutans*)
3. बम्बूसा वल्गोरिस (*Bambusa vulgaris*)
4. बम्बूसा टुल्डा (*Bambusa tulda*)

क्र.	विवरण	ईकाई	स्वीकृत सहायता दर	आवश्यक पौध संख्या/ पौध उत्पादन क्षमता	रिगार्ड
1	2	3	4	5	6
A	प्रोपगेशन एवं कल्टीवेशन				
i	बालगुड़ी प्लांटेशन-प्रथम वर्ष/रोपण वर्ष	हेक्टेयर	1.20 लाख प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 60000 प्रति हे. का 60 प्रतिशत की दर से रु. 36000 प्रति हे. अनुदान देय है।	400 पौध प्रति हेक्टेयर एवं प्रति कृषक 1 से 10 हे. तक अनुदान हेतु प्रात्रता	सरकारी क्षेत्र हेतु लागत का 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु लागत का 50% एवं
ii	रख-रखाव/ द्वितीय वर्ष		1.20 लाख प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 60000 प्रति हे. का 40 प्रतिशत की दर से रु. 24000 प्रति हे. अनुदान देय है।		
i	हाई-टेक रोपणी (2 हेक्टेयर)	रकबा	रु. 60.00 लाख/रोपणी	50,000 पौध प्रति हे. प्रति वर्ष प्रति रोपणी	सरकारी क्षेत्र हेतु लागत का 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु लागत का 50%
ii	बड़ी रोपणी (1 हेक्टेयर)		रु. 20.00 लाख/रोपणी	30,000 पौध प्रति हे. प्रति वर्ष प्रति रोपणी	
iii	छोटी रोपणी (0.5 हेक्टेयर)		रु. 10.00 लाख/रोपणी	30,000 पौध प्रति हे. प्रति वर्ष प्रति रोपणी	
iv	नवीन टिशू कल्चर नर्सरी अंतर्गत टिशू कल्चर लैब की स्थापना		रु. 250.00 लाख प्रति इकाई	25 लाख पौध उत्पादन प्रति इकाई	
v	शासकीय टिशू कल्चर नर्सरी में उच्च गुण के पौध तैयार करना		रु.35 प्रति सेप्लिंग	अधिकतम 50000 सेप्लिंग प्रति नर्सरी	
vi	नॉन टिशू कल्चर नर्सरी में उच्च गुण के पौध तैयार करना		रु.20 प्रति सेप्लिंग	अधिकतम 50000 सेप्लिंग प्रति नर्सरी	
2	बाउंड्री रोपण (एकीकृत/एग्रूड नर्सरी से पौध उत्पादन सामग्री का उपयोग)		रु. 1.20 लाख प्रति हे.	400 पौध प्रति हे.	प्रति कृषक 1 से 10 हे. तक की अनुदान प्रात्रता
3	ड्रिप सिंचाई सुविधा के साथ इंटिग्रेटेड प्लांटेशन		रु. 1.20 लाख प्रति हे.+ PMKSY-PDMC के गाइडलाइन अनुसार ड्रिप ऐरिगेशन की सुविधा	400 पौध प्रति हे.	प्रति कृषक 1 से 10 हे. तक की अनुदान प्रात्रता

क्र.	विवरण	ईकाई	स्वीकृत सहायता दर	आवश्यक पौध संख्या / पौध उत्पादन क्षमता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
	स्टॉक इम्प्रुवमेंट	हे.	30000 प्रति हे.		सरकारी क्षेत्र हेतु लागत का 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु लागत का 50% (ऐसे बांस आच्छादित क्षेत्र हेतु जहां 5 वर्षों तक योजनातर्गत अनुदान नहीं
B	प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड एग्रीगेशन				
1.	बम्बू ट्रिटमेंट एवं सीजनिंग प्लांट की स्थापना	संख्या	25.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
2.	बम्बू डिपो एवं गोडालन की स्थापना	संख्या	60.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
3.	कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) / प्रोसेसिंग यूनिट	संख्या	50.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
C	इनोवेटिव इंटरवेंशन्स इनक्लूडिंग MSME/मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स इंटिग्रेटेड बम्बू पार्क		18.00 लाख से 500.00 लाख तक (परियोजना आधारित)	-	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
1.	बांस के मूल्य संवर्धन हेतु प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	संख्या	50.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
2.	हैंडीक्राफ्ट्स/कॉटेज इंडस्ट्रीज एवं लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स	संख्या	50.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	
3.	फर्नीचर निर्माण	संख्या	30.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	
4.	ज्वेलरी निर्माण	संख्या	18.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	
5.	बम्बू फूड प्रोसेसिंग	संख्या	30.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	
6.	इंसेन्स स्टीक (अगरबत्ती) निर्माण	संख्या	40.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	-	

क्र.	विवरण	ईकाई	सवीकृत सहायता दर	आवश्यक पौध संख्या / पौध उत्पादन क्षमता	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6
7	बम्बू चारकोल (स्मॉल एवं मिडियम स्केल) / बायोघास मैकिंग यूनिट	संख्या	40.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
8	बबूली एवं वेलेनस प्रोडक्ट्स	संख्या	25.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
9	स्केलिंग अप ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (इंटरप्रिनिशर/सेक्टरल सरकारी सिराच संस्थान के साथ राज्य बम्बू मिशन का एमआययु करना)	संख्या	50.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
10	स्थापित स्मॉल यूनिट्स का अपग्रेडेशन	संख्या	20.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
11	फाइबर/फेब्रीक एक्सट्रैक्शन	संख्या	80.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
12	बम्बू बोर्ड/थर्टाई/कोरुगेटेड शीट्स/फ्लोर/बॉल टाइल्स/लेमिनेट्स/अम्बर/पार्टिकल्स बोर्ड/एमडीएफ/ओरियंट स्ट्रैंड बोर्ड आदि	संख्या	500.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
13	कम्प्रेसड बॉयो एनर्जी एक्सट्रैक्शन (एनर्जी से वेस्ट में परिवर्तन हेतु MSME स्कीम एवं बॉयोगेसीफायर के मार्गदर्शिका अनुसार)	संख्या	200.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
14	एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्ट निर्माण / लाज स्केल चार कोल प्रोडक्शन (2 से 3 टन प्रति बैच)	संख्या	240.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
15	बम्बू पैलेट्स, ग्रेनुल्स, कम्पोजिट एवं मोल्डेड प्रोडक्ट्स	संख्या	500.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र 25%
16	स्थापित मिडियम एवं लाज यूनिट्स का अपग्रेडेशन	संख्या	200.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
D	प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व बम्बू मार्केट			—	
1	प्रमोशन ऑफ बम्बू मंडी (बम्बू मार्केट प्लेस) एवं ई-ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर/प्राइवेट सेक्टर	संख्या	120.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु लागत का 100% केवल सरकारी निर्माण हेतु
2	बम्बू बाजार/बम्बू हट्स/रिटेल आउटलेट	संख्या	25.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
3	बम्बू कन्स्ट्रक्शन (फर्नीचर, बिल्डिंग, हाउस होल्ड आदि)	संख्या	25.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
E	डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी			—	100% ग्रेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन आदि, 50% ग्रेंट उन मशीनों के लिए इकाई हेतु जो इन मशीनों का विकास करती हैं।

क्र.	विवरण	ईकाई	स्वीकृत सहायता दर	आवश्यक पौध संख्या/ पौध उत्पादन क्षमता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	टेक्नोलॉजिकल इन्सॉल्ट ऑफ टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी	संख्या	100.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
2	इमपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपरीयर टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी इन कॉमन फैसिलिटी सेंटर		500.00 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित)	—	
3	सेटर ऑफ एक्सीलेंस इन थैमेटिक एरियाज ऑफ बम्बू पैल्यू देन		10.00 करोड़ तक (परियोजना आधारित)	—	100% सरकारी क्षेत्र हेतु। यह बाई-लेट्रल सहयोग के माध्यम से भी स्थापित किया जा सकता है।
F	रिकल डेवलपमेंट			—	पीएमकेवीवाई के मागदर्शिका अनुसार
1	ट्रेनिंग/एक्सपोजर विजिट ऑफ फार्मर्स/आर्टिसन्स/एंट्रीप्रेनियर्स /फील्ड फंक्शनरिज/एसबीएम स्टाफ/आफिसर्स	संख्या	सरकारी संस्थान के मान्य दश पर (परियोजना आधारित)	—	
i	राज्य के भीतर	संख्या	₹ 1000 /— व्यक्ति प्रतिदिवस	—	100% अनुदान
ii	राज्य के बाहर	संख्या	परियोजना आधारित	—	100% अनुदान अधिकतम 7 दिवस हेतु
iii	इंडिया से बाहर	संख्या	अधिकतम 1.50 लाख प्रति प्रतिभागी	—	मिशन मैनेजेंट अंतर्गत कोर्स फी का भुगतान का प्रावधान एवं 100 प्रतिशत इकोनॉमिक एयर/रेल हेतु अनुदान का प्रावधान है।
G	IEC: सेमीनार/कॉन्फ्रेंस/वर्कशॉप/एक्जीबिशन/बम्बू फेस्ट/ट्रेड फेयर आदि (आबंटन का 5 प्रतिशत तक)			—	
1	पार्टिसिपेशन/स्पॉन्सरिंग ऑफ फार्मर्स/आर्टिसन्स/एसएचजी/एंट्रीप्रेनियर्स/इन्वेंटर्स			—	
i	अंतरराष्ट्रीय स्तर	संख्या	अधिकतम 10.00 लाख प्रति आयोजन (परियोजना आधारित)	—	
ii	राष्ट्रीय स्तर	संख्या	अधिकतम 06.00 लाख प्रति आयोजन (परियोजना आधारित)	—	
iii	राज्य स्तर	संख्या	अधिकतम 03.00 लाख प्रति आयोजन (परियोजना आधारित)	—	

क्र.	विवरण	ईकाई	रवीकृत सहायता दर	आवश्यक पौध संख्या / पौध उत्पादन क्षमता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
7	ऑर्गेनाइजिंग / स्पीसरिंग सेमिनार्स / कान्फ्रेंसेस / वर्क शॉप्स / एकजीविशन्स / बम्बू फेस्ट / ट्रेड फेयर			—	सरकारी क्षेत्र हेतु/इंडस्ट्रियल एसोसिएशन/बॉडीज हेतु 100% अनुदान
8	राष्ट्रीय स्तर	संख्या	अधिकतम 30.00 लाख प्रति आयोजन अधिकतम 2 दिन (परियोजना आधारित)	—	
9	राज्य स्तर	संख्या	अधिकतम 10.00 लाख प्रति आयोजन, अधिकतम 2 दिन (परियोजना आधारित)	—	
10	रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बम्बू वैल्यू चेन				
1	रिसर्च एंड डेवलपमेंट		अधिकतम 500.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% अनुदान
2	मेकिंग ऑफ रिसोर्स बेस		अधिकतम 1000.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% अनुदान (सरकारी संस्थानों द्वारा निजी एजेंसियों को मौजूदा नियमों के आधार पर शामिल किया जा सकता है)
3	मार्केट सर्वे/रिसर्च		अधिकतम 200.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
4	सर्टिफिकेशन / ट्रेडग्राही मैनेजमेंट सिस्टम / एगआईएस		अधिकतम 80.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
5	बम्बू कन्सट्रक्शन / बम्बू प्रोडक्ट्स डिजाइन		अधिकतम 30.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% एवं निजी क्षेत्र हेतु 50%
6	मैटीनेस ऑफ बम्बू सेटम / जमेन्लाज्म / जेनेटीकली सुपीरियर वेराईटीज फॉर लोकरनल ड्रामल्स ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट रेशीमीज		अधिकतम 50.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% अनुदान
7	बम्बू वेरड विजनेस इनव्यूवेशन सेटर / इनोवेशन्स इन बम्बू / कंजुआइन डेवलपमेंट / प्रोडक्ट वेरड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट		अधिकतम 1000.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% अनुदान
8	डिसाइन सर्वे एंड स्ट्रक्चरिंग बम्बू स्ट्रक्चरल डेटा बेस		अधिकतम 100.00 लाख (परियोजना आधारित)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% अनुदान
9	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (आबंटन का अधिकतम 2.5 प्रतिशत)				
1	स्टेट लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टिजेन्सी मॉनिटरिंग एवं इवेल्युएशन		परियोजना आधारित (आबंटन का अधिकतम 2.5 प्रतिशत)	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% अनुदान
2	नेशनल लेवल			—	
3	टेक्निकल सर्पोट ग्रुप (TSG) कोर हाथरिंग एक्सपर्ट्स / स्टॉक, स्टडीज, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, कॉन्टिजेन्सी मॉनिटरिंग एवं इवेल्युएशन, मींस मिडिया, पब्लिसिटी, विडियो कान्फ्रेंस		परियोजना आधारित	—	सरकारी क्षेत्र हेतु 100% अनुदान
4	टेक्निकल कोलेबोरेशन विथ इंटरनेशनल एजेंसीज लाईक FAO, वर्ल्ड बैंक ADB, UNHCR, वाई लेटरल कोऑपेरेशन, इंटरनेशनल एकापोजल डिजिट / ट्रेनिंग ऑफ आफिर्स एस पर FAP नॉमर्स एवं अग्रुवल		परियोजना आधारित (वार्षिक दर के आधार पर)	—	100% अनुदान

संचालनालय एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों की सूची

क्र.	नाम जिला	पदनाम	नाम अधिकारी	फोन नम्बर	फैक्स नम्बर	मोबाइल नं.
1	संचालनालय	संचालक उद्यानिकी		0771-2433001	0771-2433002	
		संयुक्त संचालक वित्त	श्री आनंद राम रात्रे	0771-2511197		90098-03599
		प्र. संयुक्त संचालक उद्यान	श्री नीरज कुमार शाहा	0771-2511077		94255-23886
		उप संचालक उद्यान	श्री मनोज कुमार अम्बष्ट	0771-2511088		98261-90864
		सहायक संचालक उद्यान	सुश्री ज्योत्सना मिश्रा	-		93401-31035
2	बालोद	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती गीनू दास	-		98264-14500
		सहायक संचालक उद्यान	श्री डिकलेश कुमार	07749-212122	07749-222910	78286-33581
3	बलीदाबाजार	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती आभा पाठक	07727-222127	07727-222127	83198-62522
4	बलरामपुर	सहायक संचालक उद्यान	श्री कमलेश कुमार साहू	07831-273096	07831-273791	96173-14333
5	बेमेतरा	सहायक संचालक उद्यान	श्री हितेन्द्र कुमार मेश्राम	07824-222110	07824-222110	70499-07282
6	बीजापुर	सहायक संचालक उद्यान	श्री रामचंद्र राव	07853-200674	07853-220333	94076-43102
				07853-220420	07853-220207	
7	बिलासपुर	उप संचालक उद्यान	डॉ. कमलेश दीवान	07752-260448	07782-254025	82360-45057
8	गौ.पे. गरवाही	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	डॉ. कमलेश दीवान	-	-	82360-45057
9	दन्तेवाड़ा	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती गीना मण्डावी	07856-252227	07856-252227	94252-90122
10	धमतरी	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्रीमती पूजा कश्यप साहू	07722-209159	07722-237114	70002-59241
11	दुर्ग	उप संचालक उद्यान	श्री नारायण सिंह लावत्रे	0788-2323698	0788-2323698	94255-93869
12	गरियाबंद	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्री मिथलेश देवांगन	07706-241567	07706-241567	79745-87770
13	जगदलपुर	उप संचालक उद्यान	श्रीमती आकांक्षा सिन्हा	07782-223357	07782-223357	77459-72552
14	जाजगीर-चांपा	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती रंजना मखीजा	07817-222957	07817-222357	94079-60691
15	सक्ती	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती रंजना बंजारे	07697-678999	-	95661-68641
16	जशपुर	सहायक संचालक उद्यान	श्री करण सोनकर	-	-	97537-85424
17	कांकेर	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्री व्ही.के. गौतम	07868-222113	07868-222113	94060-11838
18	कबीरघाम	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्री हितेन्द्र कुमार मेश्राम	07741-232564	07741-232431	70499-07282
19	कोण्डागांव	सहायक संचालक उद्यान	श्री व्ही.के. गौतम	07786-242010	07786-242010	94060-11838
20	कोरबा	सहायक संचालक उद्यान	श्री पताराम सिंह	07759-227028	07759-227028	98278-11531
21	कोरिया	सहायक संचालक उद्यान	श्री विनय त्रिपाठी	07836-232496	07836-232014	91651-31942
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्री विनय त्रिपाठी	-	-	91651-31942
23	महासमुंद	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती पायल साव	07723-224624	07723-222036	90399-20624
24	मुंगेली	सहायक संचालक उद्यान	सुश्री भगवती साहू	07755-274268		98276-43064
25	नारायणपुर	सहायक संचालक उद्यान	श्री तोषण चंद्राकर	07781-252906	07781-252896	75872-85040 75877-34711
26	रायगढ़	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्रीमती रंजना मखीजा	07762-223039	07762-220096 07762-226839	94060-15389
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती आकांक्षा उपाध्याय	-	-	9131368970
28	रायपुर	उप संचालक उद्यान	श्री कैलाश सिंह पैकरा	0771-2423044	0771-2423044	94063-75470
29	राजनांदगांव	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्री नारायण सिंह लावत्रे	07744-225034	07744-225034	94255-93869
30	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	सहायक संचालक उद्यान	श्री हितेश नाग	-	-	94790-31949
31	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	सहायक संचालक उद्यान	सुश्री स्नेहलता सिन्हा	-	-	88897-59103
32	सुकमा	स.सं.उ. (अति. प्रभार)	श्री रामचंद्र राव	07864-284264	-	94076-43102
33	सूरजपुर	सहायक संचालक उद्यान	श्री जयपाल सिंह मरावी	07775-266072	07775-266072	96691-05351
34	सरगुजा	प्र. उप संचालक उद्यान	श्री जयपाल सिंह मरावी	07774-240835	07774-241041 07774-241215	96691-05351
35	बाना, रायपुर	सहायक संचालक उद्यान	सुश्री मञ्जुलता बंजारे	0771-2107027		99935-24764
36	फल परिरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर	सहायक संचालक उद्यान	श्रीमती प्रतिभा सोनी	0771-2284115	0771-2434114	94063-21497
37	प्रमुख उद्यान, रायपुर	सहायक संचालक उद्यान	श्री मिथलेश देवांगन	0771-2107027	0771-2432879	79745-87770
38	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस	प्र. संयुक्त संचालक उद्यान	श्री सुरेश कुमार ठाकुर	-	-	94255-97714
39	छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड	उप संचालक उद्यान	श्री सुरेश कुमार ठाकुर	-	-	94255-97714